कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 1956 /12-1:दिनांक देहरादून, 7 – मार्च, 2023,

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पौड़ी में जम्पिंग एडवेंचर्स प्राईवेट लि0 के पक्ष में 0.157 है0 वन भूमि लीज नवीनीकरण के सम्वन्ध में । (Online Proposal No. FP/UK/OTHERS/9959/2015)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/9/71/2018/एफ0सी0/1440, दिनांक– 12.10.2018,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि उत्तराखण्ड़ शासन, वन अनुभाग–3 के पत्रांक संख्या–2204/7-1-2010-800(2933)/2008, दिनांक–09.02.2010, के द्वार विषयांकित प्रकरण में 07–विदुओं पर आपत्ति लगा गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है सूचना निम्नानुसार हैः–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	It is not clear from the proposal how the states govt. had granted lease over the land covered under FCA.	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता ऐजन्सी को संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पूर्व में ही भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/09/137/2009 एफ0सी0 /880, दिनांक–23.10.2009, के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(संलग्नक–1)**
2	Is seems from the proposal thet it is for renewal of lease. At para b.1 (i) mentioned 'yes' but not details Uploaded. State govet. Also forworded the project simply without mentioning any balckground of the proposal.	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा पूर्व में लीज स्वीकृत से सम्बन्धित कार्यालय ऑफलाईन माध्यम से की गयी थी, जिस कारण प्रस्ताव के para b.1 (i) मं पूर्व में स्वीकृति लीज से सम्बन्धित ऑनलाईन डेटा अपलोड नहीं किया जा सका है।
3	Details of previous to be required at para B online part I.	विन्दु संख्या 02 के अनुसार।
12	The Geo- referenced digital map and SOI toposheet of proposal road uploaded at para C(iii) (iv) is not C/S by DFO	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा Geo- referenced digital map and SOI toposheet प्रतिहस्ताक्षरित कर सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी। **(संलग्नक–3)**
13	KML file of proposed road is uploaded at para C in place of digital map.	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी।
14	Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO.	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा justification for loacating the project in forest land प्रतिहस्ताक्षरित कर संशोधित सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी। **(संलग्नक–3)**

16	From the KML file it appears thet nin forest land is available, it is non- site specific activity.	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि उक्त प्रोजेक्ट संचालन के लिए टीले नुमा विशेष भूमि की आवश्यकता होती है जोकि गैर वन भूमि में उपलब्ध नहीं होने के कारण वन भूमि का चयन किया गया है और वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र para II के अन्तर्गत Addition information details में no alternate land available certificate के नाम से अपलोड कर दिया गया। (संलग्नक–4)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 1956/ 12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
3. निदेशक, जम्पइन एडवैंन्वर्स प्रा0लि0, मोहनचट्टी, ऋषिकेश।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।